

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.दावा / 113 / 2016

दर्ज दिनांक:-27.07.2016

1. सत्यवीर

पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. मौहकमसिंह वगै०

पता—

.....अप्रार्थीगण

दुलीचन्द शर्मा

मानसिंह कुन्तल

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 29.11.2018

वकील उभयपक्ष उप./प्रतिवादी सं. 01 से 04 एवं 06 से 10 की तलवी कराने हेतु बार-बार अवसर दिये गए हैं। दिनांक 07.03.2018 एवं 01.05.2018 को तलवी न कराने पर दावा अपालना में खारिज किये जाने की चेतावनी भी दी गई। प्रतीत होता है, कि वादीगण अपने दावा के प्रति सजग नहीं हैं। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण न्यायालय के आदेश की पालना न करने पर ओ-9.नियम-5 सीपीसी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर